न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 250 सन 2019

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. राजीव पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अमीलाल 3. छोटूलाल 4. कालुराम पि0 लुणाराम जाति जाट निवासी फेफाना जिला हनुमानगढ।
5. गुडडी 6. सीमा उर्फ विमला 7. छोटा पुत्रीया लुणाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/8/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 102/89 की कुल 17.4640हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम पुत्र लुणाराम सयुक्त तौर से 4.5540हैक भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 13.3200हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के एवं रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता संख्या 190/199 की कुल 4.8050हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीगण के पिता गोपीराम 86–2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि वादीगणक` दादा लूणाराम पुत्र भीयाराम के नाम से दर्ज थी वादीगण के दादा लूणाराम के देहान्त होने के बाद विरासत से वाद भूमि उनके पुत्रो पर और हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को वाद भूमि प्राप्त हुई है उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्तानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिब के खातेदार काश्तकार है कि घोषणा की जावे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आये एवं

Scanned with CamScanner

वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि विरासतन से प्राप्त पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादीगण की बहने है ने निवेदन किया की वाद भूमि में उनका जो भी हक हिस्सा था उसे उन्होने अपने भाईया/पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इलिसये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया जो तरदीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पेरोकार राज ने जबाब पेश कर निवेदन किया की वादी अपने वाद साक्ष्यो के आधार पर साबित करे एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 102/89 की कुल 17.4640हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम पुत्र लुणाराम सयुक्त तौर से 4.5540हैक भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 13.3200हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के एवं रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता संख्या 190/199 की कुल 4.8050हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीगण के पिता गोपीराम 86–2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि वादीगणक दादा लूणाराम पुत्र भीयाराम के नाम से दर्ज थी वादीगण के दादा लूणाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो पर और हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को वाद भूमि प्राप्त हुई है उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के सम्बध में किसी भी पक्षकार को एतराज नही है तथा पेरोकार राज ने भी किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण के साक्ष्य सबुतों एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 102/89 की कुल 17.4640हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम पुत्र लुणाराम सयुक्त तौर से 4.5540हैक भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 13.3200हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के एवं रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता संख्या 190/199 की कुल 4.8050हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीगण के पिता गोपीराम 86–2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी (फलोदी)

प्रस्तुत पर्चा खतौनी एवं जमाबन्दी सम्वत 1892 से 94 के अनुसार वाद भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा भीयाराम के नाम से दर्ज थी वादीगण के दादा भीयाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता हिन्दु खानदान

Scanned with CamScanner

होने के कारण दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि वादीगण के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में पौते /पौतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा अत: वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबूतों एव पेरोकार राज के किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के आधार पर साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करने के कारण वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 102/89 की कुल 17.4640हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम पुत्र लुणाराम सयुक्त तौर से 4.5540हैक भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 13.3200हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के एवं रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता संख्या 190/199 की कुल 4.8050हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीगण के पिता गोपीराम 86–2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. राजीव पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अमीलाल 3. छोटूलाल 4. कालुराम पि0 गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना जिला हनुमानगढ।
5. गुडडी 6. सीमा उर्फ विमला 7. छोटा पुत्रीया गोपीराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 250 सन 2019 निर्णय दिनांक–28/8/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 102/89 की कुल 17.4640हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम पुत्र लुणाराम सयुक्त तौर से 4.5540हैक भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 13.3200हैक भूमि जिसमें वादीगण के पिता गोपीराम सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के एवं रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता संख्या 190/199 की कुल 4.8050हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीगण के पिता गोपीराम 86–2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner